

नम्बर व
अहकाम
हुकम की
में जारी

हुकम या कार्यवाही नये इतिरायलस जज

तारीख
हुकम

15-12-20

उक्त पत्र उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / बदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 24.12.20 को पेश हो।

रीडर
उपस्थित अधिकारी माण्डल

24-12-20

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थापित कर रखने
से पत्रावली दिनांक 19.12 को पेश हो।

19.1.21

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित अप्राधीगल
के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाठ
पत्र किये गये। तस्सीलदार माण्डल परिवार हल्का
ओब्राकरपुर परवारी द्वारा माँका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे
शामिल पत्रावली की गई, अप्राधीगल को कितनी मर्तवा
आवाजे दिखायी जाने उपरन्त भी उपस्थित नहीं रहे
चिकह एक तरफ़ा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं वकील प्रार्थी ने बहस करनी चाहिए। बहस
शुनी गयी। न्यायहित में वकील प्रार्थी का प्रार्थनापत्र
स्वीकार किया जाकर निर्णय सूचक से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर नम्बर से कम है।

उपस्थित अधिकारी
माण्डल दिनांक 19.12.20



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-डॉ. पूजा सक्सेना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 145/20 प्रा.पञ्च

1- श्री सौ. हनुमन्तजी 02 श्री उदा जाट निवासी- जौरावरपुरा तहसील माण्डल

प्रार्थी

वनाम

1- श्री सौ. हनुमन्तजी 02 श्री उमाचन्द्र जाट निवासी- जौरावरपुरा तहसील माण्डल [वर्ग 1]
(पृष्ठांकित प्रा.पञ्च संक्रमण)

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956

दिनांक - 19-01-2021

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम जौरावरपुरा पटवार हल्का जौरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 861,864 कुल कितनी 02 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिका के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 27-08-20 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर रजोकार मान्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.स.अधि. 1956 का रजोकार किया जाकर ग्राम जौरावरपुरा पटवार हल्का जौरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 861, 864 कुल कितनी 02 रकबा 18 बीघा 18 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक बागीर को 300/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिथि को बनाये रखते हुए मुरतकील विन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जायें। पत्थरगढी होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा

प्रतिलिपि- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लया है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत कर।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल भीलवाडा